



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072024-255431
CG-DL-W-15072024-255431

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जुलाई 7—जुलाई 13, 2024, शनिवार/ आषाढ 16—आषाढ 22, 1946
No. 15] NEW DELHI, JULY 7— JULY 13, 2024, SATURDAY/ASHADHA 16— ASHADHA 22, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)

गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.नि.आ. 41—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), (वरिष्ठ स्टोर कीपर)समूह 'ग' अराजपत्रित पद भर्ती नियम 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), अधीक्षक (भंडार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), अधीक्षक (भंडार) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

(3) भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

(4) निरर्हता:- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) शिथिल करने की शक्ति :- जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख-बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अधीक्षक (भंडार)।	11*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक और अन्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार छूट प्राप्त है)। टिप्पण-1-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या समतुल्य उत्तीर्ण; (ख) सामग्री प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; और (ग) भण्डार की देख-रेख या लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-अनुभव संबंधी अहर्ता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी

				सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है) । टिप्पण-2- पदों के संबंध में, जिसमें नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई है, प्रत्येक दशा में आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा है।	की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष । टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दो सप्ताह की अवधि का न्यूनतम प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा ।	सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1-निदेशक या समतुल्य, गुणता आश्वासन निदेशालय(नौ सेना)-अध्यक्ष । 2-संयुक्त निदेशक या समतुल्य, गुणता आश्वासन	लागू नहीं होता ।

				निदेशालय(नौ सेना)- सदस्य । 3- उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना)- सदस्य. और 4-उप निदेशक या समतुल्य, गुणता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य ।	
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 2348/आर आर/अधीक्षक (भंडार)/डीक्यूए(एन)/कार्मिक/ डीक्यूए/2024]

ऋतु शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

(DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL))

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2024

S.R.O. 41—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance(Naval), (Senior Store Keeper) Group “C” Non-Gazetted posts, Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent(Stores) in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Superintendent (Stores) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**-The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc:-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Superintendent (Stores).	11* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years and for others in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2:- In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall, in each case, be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	(i) 10+2 or equivalent pass from a recognised Board or University; (ii) Certificate Course in Material Management; and (iii) Two years experience in the Store Keeping or Accountancy. Note: The qualification regarding experience is relaxable for persons to be recorded in writing at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note:- There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairperson; (2) Joint Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member; (3) Deputy Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member; and (4) Deputy Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance (Warship Project)– Member.	Not applicable.

[F. No. 2348/RR/Supdt (Stores)/DQAN/ Pers/D(QA)/2024]

RITU SHARMA, Under Secy.